

राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना-30

उद्यान विज्ञान विभाग

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक आर.के.वी.वाई./एसकेएनसीओएजो/24/114-118

दिनांक 9-2-2024

सीमित निविदा सूचना

उद्यान विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर पर चल रहे कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों एवं किसानों के लिए नास्ता, दोपहर व रात्रि भोजन की आवश्यकता होती है।

सभी कैंटरर्स, कैंटीन मालिकों, ढाबा व्यवसायियों व हलवाईयों से चाय, नाश्ते, दोपहर व रात्रि भोजन के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपनी दरों को निर्धारित प्रपत्र में भरकर मोहरबंद निविदाएँ निम्नानुसार कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रशिक्षणों व कार्यक्रमों में चाय, नाश्ते, दोपहर व रात्रि भोजन की व्यवस्था
1.	कार्य की अनुमानित मात्रा/ लागत	रुपये 1.90 लाख
2.	धरोहर राशि	रुपये 3000/-
3.	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक और समय	15/2/2024 upto 11:00 AM
4.	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक और समय	15/2/2024 upto 11:30 AM

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान अधिष्ठाता, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. इंचार्ज सिमका, श्री क.न.कृषिविश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय वेबसाइट व एस.पी. पोर्टल पर अपलोड करावें।
5. मैसर्स/श्री
6. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका जोबनेर एवं श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

प्रभारी अधिकारी

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम:—.....
2. पता:—
3. मोबाइल नंबर:—
4. जी.एस.टी. व टैन नंबर:—
5. निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न सभी शर्तों से सहमत एवं मंजूर है।
6. चाय, नास्ता, दोपहर व रात्रि भोजन के लिए हमारी दरें निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	चाय व नास्ता का विवरण	दर बिना जी.एस.टी. (रु.)	जी.एस.टी. (%) व राशि (रु.)	कुल राशि जी.एस.टी. सहित (रु.)
1.	चाय (150 मिली)			
2.	काफी (150 मिली)			
3.	एक पीस मिठाई मावे की (70 ग्राम)			
4.	एक समोसा/कचोरी/पकोड़ी (100 ग्राम)			
5.	साधारण नाश्ता— एक पीस मिठाई (70 ग्राम), एक समोसा/कचोरी व वेफर्स			
6.	नमकीन पैकेट (बाजार में उपलब्ध वजन)			
7.	बिस्किट पैकेट (बाजार में उपलब्ध वजन)			
8.	दही (150 मिली)			
9.	आलू पराठा — 2 मय आचार			
दोपहर व रात्रि भोजन का विवरण				
1.	रोटी/ पूड़ी, एक सीजनल सब्जी, एक दाल व एक पीस मिठाई (70 ग्राम)			
2.	दाल, बाटी, चूरमा (देशी घी में), कढ़ी, पापड़ व नींबू			
3.	खीर—जलेबी/ रवे का हलवा, पूड़ी व एक सीजनल सब्जी			
4.	रोटी, चावल, एक सीजनल सब्जी, एक पनीर की सब्जी, एक दाल फ्राई, रायता सलाद, 2 पीस मिठाई (गुलाब—जामुन/ रसगुल्ला/ मावे की बर्फी)			
5.	आइसक्रीम कप (बाजार में उपलब्ध वजन)			
6.	खाना पैकेट— 8 पूड़ी, 1 सूखी सब्जी, आचार, एक लड्डू (50 ग्राम)			

181

निविदादाता का नाम

निविदादाता का हस्ताक्षर

निविदा के नियम व शर्तें

1. निविदा की धरोहर राशि मोहरबंद निविदा के साथ जमा करानी होगी।
2. सफल निविदा दाता को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध करना होगा।
3. जी.एस.टी. का पंजीकरण आवश्यक है तथा जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ सलंगन करना होगा।
4. खाना बनाने में उपयोग होने वाले समस्त सामग्री आटा, तेल, घी एवं मसाले एगमार्क वाले होने चाहिए।
5. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए, संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग से सैंपल परीक्षण करवाया जा सकता है।
6. किसी भी प्रकार की भोजन विषाक्तता आदि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. बिल का भुगतान बिल पारित होने पर ऑनलाइन सीधे बैंक खाते में या ऑफलाइन बैंक द्वारा, जो भी संभव हो द्वारा किया जावेगा।
8. फर्म के बैंक खाते का कैंसल चेक सलंगन करना होगा।
9. निविदादाता को सभी को भोजन परोसने एवं खाना बनाने के बर्तन आदि समस्त व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
10. निविदा दाता को सभी को भोजन कराने के पश्चात सफाई करवाना सुनिश्चित करना होगा।
11. खाना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय परिसर में ही बनाना होगा, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण स्थान पर भी बनाना पड़ सकता है।
12. यदि निविदा दाता कार्यालय में एरिया/ कमरे का उपयोग लेना चाहता है तो उसे नियमानुसार बिजली का बिल तथा किराया जमा कराना होगा।
13. नास्ता, दोपहर व रात्रि भोजन की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
14. दरों का निर्धारण सभी दरों को जोड़ने के पश्चात जो न्यूनतम होगी, उसी आधार पर होगा।
15. निविदा की अवधि खर्च सीमा या एक वर्ष तक, जो भी पहले हो तक मान्य होगी।
16. निविदा को आवश्यकतानुसार समान दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
17. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानकस्तर न होने या कार्य संतोषजनक न होने की दशा में निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदादाता का नाम

निविदादाता का हस्ताक्षर

181